5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : पी.बी.आर. / 2015 निगरानी 1205-PBR-15

बलराम पुत्र गयाप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम टौरिया कला, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

1 उदयराज पुत्र श्री पन्नालाल, जाति वाढ़ई,

2 रामकिशन पुत्र लालाराम बाढ़ई, निवासीगण– ग्राम टोरिया खुर्द, कृषक, ग्राम टोरियाकला, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

3 म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर शिवपुरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

———अनावेदकगण

विनोद भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 26.5.15 को

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर दिनांक 26-5-15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 68 / 2014–15–बी 121 में की गई कार्यवाही दिनांक 16 / 09 / 2014 से 2015 में पारित आदेश दिनांक 2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल एवं अधिकारिता रहित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 154 / 2011–12 / अपील में पारित आदेश दिनांक 14 / 09 / 2012 द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित नामातंरण आदेश

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण निगरानी 1205–अध्यक्ष / 2015 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 68 / बी–121 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.9.14 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.9.14 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य अपर आयुक्त ग्वालियर	